

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

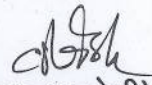
क्रमांक:- एफ. 2 (ग) (केडर रिव्यू) अलेसे-I/2280-86

दिनांक :- 26-05-2014

केडर स्ट्रेन्थ आदेश संख्या05/2014-15

वित्त विभाग द्वारा अधिसूचना एफ.1 (11) एफडी/ रेवेन्यू/ 96 पार्ट-II जयपुर, दिनांक 24.05.2013 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 13.08.2013 में दिये गये निर्देशों तथा उपायुक्त एवं शासन उपसचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, राज. जयपुर के पत्रांक एफ.2(5)खा.वि./स्था.प्र./2005 जयपुर दिनांक 01.08.2013 के क्रम में राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा की केडर स्ट्रेन्थ में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की सूची में नीचे वर्णित पदों को शामिल किया जाता है:-

क्र.स.	विभाग/कार्यालय का नाम	स.ले.अ.	लेखाकार	क.ले.
1.	संभागीय उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी एवं उप महाप्रबन्धक (विपणन) राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम अजमेर	—	01	—
2.	संभागीय उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी एवं उप महाप्रबन्धक (विपणन) राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम बीकानेर	—	01	—
3.	संभागीय उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी एवं उप महाप्रबन्धक (विपणन) राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम भरतपुर	—	01	—
4.	संभागीय उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी एवं उप महाप्रबन्धक (विपणन) राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम जोधपुर	—	01	—
5.	संभागीय उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी एवं उप महाप्रबन्धक (विपणन) राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम जयपुर	—	01	—
6.	संभागीय उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी एवं उप महाप्रबन्धक (विपणन) राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम कोटा	—	01	—
7.	संभागीय उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी एवं उप महाप्रबन्धक (विपणन) राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम उदयपुर	—	01	—
योग		-	07	-

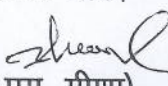

(वीरबाला जोशी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ. 2 (ग) (केडर रिव्यू) अलेसे-I/2280-86

दिनांक :- 26-05-2014

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 2- उपायुक्त एवं शासन उपसचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, राज. जयपुर।
- 3- संभागीय उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी एवं उप महाप्रबन्धक (विपणन) राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम अजमेर/ बीकानेर/ भरतपुर/ जोधपुर/ जयपुर/ कोटा/ उदयपुर।
- 4- उपनिदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं पीआईएस में इन्द्राज करने हेतु।
- 5- निजी सहायक, निदेशक महोदया।
- 6- पदस्थापन सहायक अलेसे- II विभागीय अभिलेखों में आवश्यक संशोधन किये जावें।


(के.एम. मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)